राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 237/2024

श्याम लाल मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.02.2024
आदेश की दिनांक : 25.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके तहत अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (आगे सीसीए नियम कहा गया है) के नियम 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निलंबित किया गया है, लेकिन आज तक अपीलार्थी को न तो कोई आरोप पत्र जारी किया गया है और न ही अपीलार्थी से उससे संबंधित किसी भी कार्य के लिए कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है और अपीलार्थी के खिलाफ कुछ झूठी शिकायतों के आधार पर निलंबन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर संभाग जयपुर के पद पर कार्यरत है और उसने अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग पदों पर कार्य किया है और अंत में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के रूप में विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है। अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार कुछ आरोपों के संबंध में वर्ष 2016 में सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत एक आरोप पत्र जारी किया गया था और अपीलार्थी ने पहले ही उक्त आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया था लेकिन आज तक उक्त आरोप पत्र में कोई जांच नहीं की गई है। उक्त आरोप पत्र द्वारा वर्ष 2016 में सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ जांच शुरू की गई थी और 8 साल से अधिक समय बीत चुका है और अपीलार्थी ने पहले ही जांच अधिकारी को आरोप पत्र का जवाब

प्रस्तुत कर दिया है। अपीलार्थी का कहना है कि उसे आदेश दिनांक 09.02.2024 द्वारा सीसीए नियमों के नियम 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया। आदेश दिनांक 09.02.2024 में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि अपीलार्थी के खिलाफ जांच लंबित है या विचाराधीन है। अपीलार्थी को मात्र दुर्भावनापूर्ण इरादे और राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। अपीलार्थी को वर्ष 2016 में जारी आरोप पत्र में जवाब देने के बाद भी 8 वर्ष से ज्यादा अवधि में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। अब अपीलार्थी को बिना कारण बताये निलंबित कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय और इस न्यायाधिकरण ने कई मामलों में यह निर्धारित किया कि निलंबन आदेश सावधानी से पारित किया जाना चाहिए और इसे केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने योगेश आचार्य के प्रकरण में यह निर्धारित किया कि केवल कुछ शिकायत के आधार पर निलंबन आदेश सरसरी तौर पर पारित नहीं किया जाना चाहिए (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी को यह बताए बिना निलंबित कर दिया गया है कि उसके खिलाफ जांच लंबित है या विचाराधीन है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर संभाग जयपुर में नियमित वेतन एवं सभी लाभों के साथ निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यथी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों के आधार पर तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) निलंबित किया गया है। अपीलार्थी को दुर्भावनावश तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के दृष्टिगत निलंबित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोटा क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. कोटा में प्रशासक के पद पर पदस्थापन अवधि के दौरान नियमों/शर्तों की अवहेलना कर समिति को चावल मिल हेतु रीको से आवंटित भूखण्ड की खाली भूमि में से 15000 वर्ग फुट भूमि को रीको तथा विभाग से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही प्रशासकीय निर्णय में दूषित प्रक्रिया को अनुमोदित करने एवं अपने कर्तव्यों/दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2016 (अनुलग्नक आर–3) द्वारा सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन जारी किया गया था। तदुपरान्त कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक आर–4) द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के स्थान पर सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही सम्पादित किए जाने के आदेश प्रदान किए गए तथा कार्मिक विभाग को आदेश दिनांक 26.07.2021 (अनुलग्नक आर–5) द्वारा अपीलार्थी श्यामलाल मीणा एवं श्री शोभागमल मीणा, उप

रजिस्ट्रार एवं तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक, क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. कोटा के विरूद्ध सीसीए नियम 18 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के आदेश प्रदान किए गए। जांच प्रकरण में कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक आर–6) द्वारा सीसीए नियम 16(4) के अन्तर्गत आयुक्त (प्रथम), विभागीय जांच, राजस्थान जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक चार्जशीट फाईनल नहीं की गई है व उक्त चार्जशीट में जांच नहीं की गई है जो पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य है। अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से निलंबित किया गया है। अपीलार्थी मीणा का यह कथन है कि उक्त प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2016 में ज्ञापन जारी किए जाने के उपरान्त गत 8 वर्षों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य है। प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन है एवं निलम्बन आदेश दिनांक 09.02.2024 प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 286/2022 दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक आर–2) में अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में प्रचलित की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण में नवीन तथ्य प्रकाश में आने पर उक्त अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा खण्ड, कोटा से प्राप्त अनुपूरक प्रस्ताव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किए गए थे। उक्त क्रम में कार्मिक (क–3/जांच) विभाग द्वारा कतिपय कमियों की पूर्ति चाही गई है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.2024 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत अपीलार्थी को सीसीए नियमों के नियम 13 के तहत निलंबित किया गया है। इसमें यह अकंन नहीं है कि निलंबन आदेश नियम 13(1) में जारी किया है या नियम 13 (2) में। अपीलार्थी का कथन है कि वर्ष 2016 में उसे एक आरोप पत्र जारी किया गया था (अनुलग्नक–3)। उक्त आरोप पत्र सीसीए नियम, 1958 के नियम 17 के तहत जारी किया गया था। अपीलार्थी के खिलाफ लगाया गया आरोप यह था कि जब वह अतिरिक्त रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत था। और दिनांक 20.10.2014 से 14.06.2015 की अवधि के दौरान क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा के प्रशासक का प्रभार भी संभाल रहा था। जो भूमि रीको द्वारा राइस मिल के नाम पर उक्त सोसायटी को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का कुछ भाग बिना मंजूरी लिये तथा नियमों की प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पालन किये बिना एक निजी पक्ष को लीज पर दे दिया गया। अपीलार्थी ने इस आरोपपत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर दिया। बाद में आरोप पत्र को सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत परिवर्तित कर दिया गया। अपीलार्थी ने इसमें भी विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि सोसाईटी की उक्त जमीन पूर्व में भी 1995 से 2015 तक विभिन्न अधिकारियों द्वारा लीज पर दी गई है। समिति के महाप्रबंधक ने पूरी प्रक्रिया का पालन कर दैनिक समाचार पत्र में नोटिस जारी कर एनआईटी मांगी जाकर एनआईटी स्वीकृति के बाद निजी पक्षकार को तीन वर्ष के लीज पर दी गई। लीज से संबंधित समस्त कार्य सोसाईटी द्वारा निष्पादित किया गया। विभाग द्वारा राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के संबंध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया हुआ है। कोटा क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपनियमों के अनुसार सम्पति के लीज हेतु समिति का निदेशक मंडल सक्षम है। अपीलार्थी ने राजस्थान सहकारी समितियों अधिनियम 2001 एवं सहकारिता अधिनियम की धारा 121 के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है। अपीलार्थी के अनुसार इस प्रकरण में सहकारिता अधिनियम की धारा 55 के अधीन जांच की गई है। जांच में यह पाया कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार हुई है एवं जांच समाप्त कर दी गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि समिति के हित में एनआईटी जारी करने के बाद लीज की गई है। अब लीज अवधि समाप्त हो गई एवं मौके पर अस्थायी निर्माण भी ध्वस्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट दिनांक 04.07.2019 (अनुलग्नक–4) पर है। जबकि इस प्रकरण में अपीलार्थी को पहले 17 सीसीए में आरोप पत्र दिनांक 21.12.2016 को दिया, जिसे 5 साल बाद दिनांक 22.07.2021 को 16 सीसीए में बदल दिया गया है एवं इसके आधार पर सीसीए नियमों के नियम 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया है कि जांच लंबित है। वर्ष 2015 की एक घटना के आधार पर सीसीए नियमावली के नियम 17 के तहत वर्ष 2016 में आरोप पत्र जारी किया गया और पांच साल बाद वर्ष 2021 में जांच को सीसीए नियमावली के नियम 16 के तहत परिवर्तित कर दिया गया और उक्त आरोप पत्र को आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अब 09 वर्ष बीत जाने के बाद अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया है आरोप पत्र का जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। (अनुलग्नक–5)। सीसीए नियमों के तहत जांच को इस नियम के संलग्न अनुसूची में निर्धारित अवधि में पूरी की जाना आवश्यक है। आरोप पत्र जारी करने के 09 वर्ष बाद निलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार एक ही आरोप के संबंध में पृथक से कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इस आधार पर अधिकरण ने समान प्रकरण में अंतरिम स्थगन पारित किया है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में न तो अपीलार्थी गिरफ्तार हुआ है और न ही उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही हुई एवं न ही चालान पेश हुआ है। कोइ अभियोजन स्वीकृति भी जारी नहीं हुई है। अपीलार्थी का निजी पक्ष को लीज देने में सीधे तौर पर कोई संलिप्तता है। लिहाजा निलंबन आदेश पूर्णतः गलत है। अपीलार्थी ने परिपत्रों और

स्वीकृति आदेश के साथ दिनांक 12.02.2024 (अनुलग्नक–7) को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दायर किया। उक्त अभ्यावेदन का उत्तर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 18.03.2024 द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया कि जांच कार्यवाही अस्थगित (Kept in abeyance) रखी हुई है और महाप्रबंधक से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण पर विचार किया जाएगा। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि दिनांक 20.10.2014 से 14.6.2015 की अवधि के दौरान वह अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर थे और राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे और इसका गठन नहीं होने के कारण निदेशक मंडल में अपीलार्थी प्रशासक के रूप में कार्यरत था। सोभाग मल मीना जो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के तहत उक्त सोसायटी के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, दिनांक 09.03.2015 को एक सामान्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि चावल मिल के लिए आवंटित भूमि का एक हिस्सा सोसायटी के हित में लीज जारी करके उपयोग किया जा सकता है और उस प्रस्ताव के बाद, एनआईटी जारी की गई और उसके बाद भूमि के उक्त हिस्से को एक पूनम टेन्ट हाउस को लीज पर दे दिया गया था (अनुलग्नक–8 एवं 9)। उपरोक्त प्रस्ताव अपीलार्थी के समक्ष आया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उक्त भूमि रीको द्वारा आवंटित की गई थी। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने परिपत्र दिनांक 11.08.2010 (अनुलग्नक–10) द्वारा किसी भी सहकारी समिति के निदेशक मंडल को समिति की सम्पति को उचित रूप से लीज पर देने या अन्य व्यक्तियों से किराया लेने के संबंध में समिति के हित में काम करने में सक्षम है। अपीलार्थी का निवेदन है कि रजिस्ट्रार ने सहकारी समितियों को दिनांक 01.08.2017 (अनुलग्नक–11) द्वारा राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है कि ऐसा कोई नियम या परिपत्र उपलब्ध नहीं है जिसमें क्रय विक्रय सहकारी समिति की परिसम्पतियों को किराये/लीज पर दिए जाने के सन्दर्भ में लीज पर देने हेतु पूर्व विभागीय स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ दिनांक 09.02.2024 को जारी किया गया निलंबन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्षक की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 09.02.2024 जिसके द्वारा निलंबित किया गया है, को इस अपील में चुनौती दी गई है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें प्रशासनिक कारणों से निलंबित किए जाने का अंकन है। निलबंन आदेश सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के तहत जारी किया गया है। नियम 13 सीसीए रूल्स में निलंबन किए जाने के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

"Rule 13. Suspension.

> 1. The Appointing Authority or any, authority to which it is subordinate or any other authority empowered by the Government in that behalf may place a Government Servant under suspension:
>
> (a) where a disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending, or
>
> (b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial
>
> Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the Appointing Authority, such authority shall forthwith report to the Appointing Authority the circumstances in which the order was made."

आलौच्य आदेश में ऐसे किसी कारण/आधार का अकंन नहीं है जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। दूसरा कि निलंबन हेतु इस नियम में सक्षमता निर्धारित की गई है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है जिससे निलंबन हेतु कार्मिक विभाग सक्षम है। अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए 16 के तहत विभागीय जांच भी लंबित है परंतु आलौच्य आदेश सहकारिता विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा जारी किया गया है। इस स्थिति में प्रशासनिक विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियुक्ति प्राधिकारी को प्रकरण की रिपोर्ट भेजेगा कि किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार प्रशासनिक विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि प्रकरण में आरोप पत्र एवं निलंबन आदेश नियत समयावधि में कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर निलबंन आदेश की पुष्टि कराई जायेगी। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आदेश का पृष्ठांकन भी कार्मिक विभाग को नहीं किया गया है एवं आलौच्य आदेश की कार्मिक विभाग से पुष्टि कराये जाने संबंधी कोई तथ्य/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है एवं अभिवचनों या बहस के दौरान इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आलौच्य आदेश सीसीए नियम के नियम 13 में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है एवं इसमें कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की पालना का भी पूर्णतः अभाव है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापन के दौरान क्रय विक्रय सहकारी समिति कोटा के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 20.10.2014 से दिनांक 14.06.2015 तक रहा। इस अवधि में समिति को चावल मिल हेतु रीको से आवंटित भूमि में से खाली पड़ी 15000 वर्ग फीट भूमि रीको एवं विभाग से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही प्रशासनिक निर्णय की दूषित प्रक्रिया को अनुमोदित करने एवं कर्तव्यों/दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने के संबंध में एक आरोप पत्र अपीलार्थी को 17 सीसीए के तहत दिनांक 21.12.2016 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया

गया। जिसे बाद में सीसीए नियम 16 में परिवर्तित किया जाकर कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2021 द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य दोषी के विरूद्ध सीसीए नियम 18 के तहत सयुंक्त जांच हेतु आदेश हुए एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 07.11.2022 द्वारा आयुक्त (प्रथम) विभागीय जांच को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि इसी प्रकरण में एसीबी में भी एफआईआर संख्या 286/2022 दिनांक 18.07.2022 को दर्ज हुई है। विभागीय जांच एवं एसीबी में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा समान प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11801/2012 राजीव आचार्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.09.2014 में निम्न निर्णय अभिनिर्धारित किया गया हैः–

"Examined in the light of aforesaid observations of the Supreme Court, it must be observed that though placing an employee under suspension is exclusive domain of the competent authority who can always review its order of suspension, when satisfied that the criminal trial is likely to be concluded with unusual delay for no fault of the employee concerned. But the power of judicial review cannot be denied to the court when the charges are baseless, mala-fide or vindictive or are framed only to keep the delinquent employee out of job. In a case where the court comes to the conclusion that the authority is not proceeding expeditiously as it ought to have been and it results prolonged suffering of the delinquent employee, the court may step in. In the present case, the facts speaks for themselves. When the charges against the petitioner were not considered to be grave enough even by the competent authority itself, which decided him not to place under suspension as (a) when the first information report was registered against the petitioner, (b) when the sanction for prosecution was issued, (c) when the challan was filed in the court, and (d) finally when the charge-sheet was issued under Rule 16 of the CCA Rules in the disciplinary proceedings, how suddenly on 30.07.2012, the necessity to place the petitioner under suspension arose, has not been explained. Moreover, the proceedings in the criminal case are getting unduly delayed. The investigation has taken undoubtedly a long time inasmuch as the first information report was registered in the year 1998 but the challan was belatedly filed eight years thereafter in 2007 and till date the charges have not been

framed. Recording of evidence after framing of the charges would be consuming long time as ACB cases generally have too many witnesses, which process is likely to take unusually long time. The disciplinary proceedings is also not likely to be concluded in near future because no final view has been taken by the Disciplinary Authority despite exoneration of the petitioner at-least up to the stage of the report of the enquiry officer, which again highlights the lackadaisical approach of the authorities leading to enormous delay in completion of the proceedings.

In the light of view that this court has taken of the matter, the writ petition succeeds and the same is allowed. Impugned order of suspension dated 30.07.2012 is quashed and set aside. The petitioner is held entitled to reinstatement. However, appropriate order with regard to regulating the period of suspension under Rule 54 of the Rajasthan Service Rules, shall be passed by the competent authority on conclusion of the trial and/or passing of final order in the disciplinary proceedings.

writ petition accordingly stands allowed. This also disposes of stay application."

आलौच्य आदेश के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट नहीं है कि वर्ष 2015 की घटना के संबंध में अब अचानक निलंबन आदेश जारी करने की क्या आवश्यकता हुई। जबकि अपीलार्थी के खिलाफ दिसम्बर 2016 में विभागीय जांच प्रारम्भ करते समय एवं जुलाई 2022 में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के समय निलम्बन करना आवश्यक नहीं समझा गया। यद्यपि निलंबन कोई दण्ड नहीं है परंतु इससे लोकसेवक की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। सामान्यतः निलंबन उस अवस्था में किया जाता है जबकि लोकसेवक जहां पदस्थापित हो उस पदस्थापन से संबंधित कोई गंभीर अनियमितता को लेकर जांच प्रस्तावित/विचाराधीन हो एवं लोक सेवक द्वारा अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग कर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने या जांच/गवाहों को प्रभावित करने की आशंका हो या कोई लोकसेवक आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया हो जो 48 घंटे से ज्यादा अभिरक्षा में रहा हो। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2015 का कोटा से संबंधित है एवं अपीलार्थी निलम्बन आदेश के समय कोटा में पदस्थापित नहीं था। साथ ही उसके विरूद्ध दर्ज एसीबी प्रकरण में अपीलार्थी की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ चालान प्रस्तुत होने या अभियोजन स्वीकृति जारी होने के तथ्य पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी को अचानक 9 साल पुराने प्रकरण में किन परिस्थितियों के कारण

निलम्बित करना पड़ा। यह विलम्बित निलम्बन (Belated suspension) का स्पष्ट मामला हे। इसमे यह साबित होना आवश्यक है कि अचानक प्रकरण में ऐसी कौनसी नवीन परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिससे दृष्टिगत निलम्बन करना आवश्यक हो गया है। जबकि अपीलार्थी को आरोप पत्र जारी करने या अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के समय निलंबित करना आवश्यक नहीं समझा गया था। पत्रावली पर ऐसे नवीन तथ्यों/परिस्थिति बाबत कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन में हमारा यह मानना है कि आलौच्य निलम्बन आदेश सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधानों के एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुरूप एवं अनुपालना में नहीं है एवं 09 वर्ष पुराने प्रकरण में बिना किसी विशेष कारण/आधार के अचानक निलंबन करने का भी कोई औचित्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का आलौच्य निलंबन आदेश दिनांक 09.02.2024 अपास्त किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)